



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232260
CG-DL-E-30122021-232260

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5030]
No. 5030]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5430(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2365(अ), दिनांकित 12 जुलाई, 2016 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

248ए	गुडगांव-सोहना खंड	कि.मी. 2.41 से कि.मी. 24.50
निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत प्रतिस्थापित की जाएंगी:-		
248ए	गुडगांव-सोहना खंड	कि.मी. 2.41 से कि.मी. 24.536

[फा.सं. एनएच-14013/15/2021-पी एंड एम पार्ट(I)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 2365 (अ), दिनांकित 12 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं.का.आ. 4624(अ), दिनांकित 9 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

S.O. 5430(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2365(E), dated the 12th July, 2016, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

248A	Gurgaon-Sohna section	Km. 2.41 to Km. 24.50
------	-----------------------	-----------------------

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

248A	Gurgaon-Sohna section	Km. 2.41 to Km. 24.536
------	-----------------------	------------------------

[F. No. NH-14013/15/2021-P&M-Part(1)]

RAJESH GUPTA, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O. 2365(E), dated the 12th July, 2016 and last amended vide number S.O. 4624(E), dated the 9th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5431(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21ए, सं. 22 [किमी 5.735 से किमी 10.890 और किमी 40.000 से किमी 62.200 (पंजाब/हरियाणा सीमा-हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 64, सं. 65 [किमी 5.000 से किमी 241.580 (अंबाला - कैथल - नरवाना - हिसार - हरियाणा/ राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 71 [किमी 239.00 से किमी 450.800 (पंजाब/ हरियाणा सीमा - जींद - रोहतक - बावल खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 71ए [किमी 0.000 से किमी 80.858 (रोहतक-पानीपत) तक खंड को छोड़कर], सं. 71बी, नई रारा सं. 709 का विस्तार, सं. 73 [किमी 70.890 से किमी 179.285 (उत्तर प्रदेश/ हरियाणा सीमा - यमुनानगर - साहा - बरवाला - पंचकूला) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 334डी, नई रारा सं. 148बी [(किमी 4.90 से किमी	हरियाणा राज्य सरकार"

94.60 और किमी 126.00 से किमी 197.27 (राजस्थान /हरियाणा सीमा - भिवानी - हांसी - बरवाला खंड) तक खंड को छोड़कर] और नई रारा सं. 248ए [किमी 2.41 से किमी 24.536 (गुडगांव-सोहना खंड) तक खंड को छोड़कर] के उतने भाग जो हरियाणा राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

[फा. सं. एनएच-14013/15/2021-पी एंड एम-पार्ट(1)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 5322(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

S.O. 5431(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“8	So much of National Highways No. 21A ,No.22 [excluding from Km. 5.735 to Km. 10.890 and from Km. 40.000 to km. 62.200 (Punjab/Haryana Border- Haryana/Himachal Border)], No.64, No.65 {excluding from km. 5.000 to km 241.580 (Ambala-Kaithal-Narwana-Hissar-Haryana/Rajasthan Border)}, No.71 [excluding from km.239.00 to km. 450.800 (Punjab/Haryana border- Jind-Rohtak-Bawal section)], No. 71A [excluding from km.0.000 to km.80.858 (Rohtak-Panipat), No. 71B, Extension of new No. NH 709, No.73 [excluding From km.70.890 to km.179.285 (Uttar Pradesh/Haryana Border- Yamunanagar-Saha-Barwala-Panchkula)], new NH No 334D, new NH No. 148B [excluding from Km 4.90 to Km. 94.60 and from Km.126.00 to Km. 197.27 (Rajasthan/Haryana border- Bhiwani-Hansi-Barwala section)] and new NH No. 248A [excluding from Km. 2.41 to Km 24.536 (Gurgaon-Sohna Section)] as are situated within the State of Haryana.	State Government of Haryana”.

[F. No. NH-14013/15/2021-P&M-Part(1)]

RAJESH GUPTA, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 5322 (E), dated the 21st December, 2021.